215

नोटिस

सं0–1331/xxxii-2-2016-3(31)/2015

प्रेषक,

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री नारायण दत्त तिवारी,
मा0 पूर्व मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 **दिनांक : 17, अक्टूबर, 2016।**

विषय :– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मा0 भूतपूर्व मुख्यमंत्रीगणों को आवंटित शासकीय आवासों को रिक्त कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आप भिज्ञ है कि उत्तर प्रदेश राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली–1997, जो उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत लागू है, के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दि0 01, अगस्त, 16 को **" उत्तर प्रदेश राज्य के मा0 पूर्व मुख्यमंत्रीगणों को 02 माह के भीतर आवंटित शासकीय आवासों को रिक्त कर, उसका कब्जा राज्य सरकार को हस्तगत किये जाने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मा0 पूर्व मुख्यमंत्रीगणों से, उनको आवंटित आवास की तिथि से किराया वसूलने "** संबंधी आदेश पारित किये गये है। "

2– उक्तानुसार पारित आदेश के क्रम में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन सं0–90(PIL)/2010 रुरल लिटिगेशन एण्ड एनटाइटिलमेण्ट केन्द्र (RLEK) बनाम राज्य व अन्य के संबध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिये गये निर्णय के संबध में अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

3– तदक्रम में आपकों अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली–1997, जो उत्तराखण्ड राज्य में यथावत लागू है, जिसके अनुरूप ही आपकों शासकीय आवास आवंटित किये गये है, भी उक्तानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अच्छादित है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य राज्य सरकार द्वारा आपको आवंटित शासकीय आवास सं0–**अनन्त वन, एफ.आर.आई, कैम्पस, लेन नं0–01, वृक्षगढ रोड, देहरादून** की निरंतरता बनाया रखना संभव नही है।

अतः उपरोक्त वस्तु–स्थित के आलोक में आपसे विनम्र निवेदन है कि आपकों आवंटित शासकीय आवास सं0–**अनन्त वन, एफ.आर.आई, कैम्पस, लेन नं0–01, वृक्षगढ रोड, देहरादून** को **16, दिसम्बर, 2016** तक रिक्त करते हुए, उसका कब्जा मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तगत करने का कष्ट करे। उक्त के अतिरिक्त आवंटित आवास के अध्यारोपित किराये को आगणित करते हुए, किराये की वसूली हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्याः1331/xxxii-2-2016-3(31)/2015 ,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन /मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, विधानसभा सचिवालय,/सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड ।
3– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/राज्य सम्पत्ति अनु–01 एवं 03/गोपन(मंत्रिपरिषद्) विभाग/सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार आवंटित आवास को रिक्ति किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें/एन0आई0सी0, देहरादून/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

17/10/16

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

Kamal/letters